लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 14 / 2022
GCMS NO. : 2022 / 65

प्रार्थी / अपीलार्थी :– अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

श्री खेमसिंह जोधा ग्राम पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी
जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 28.09.2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 01.08.2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 12.09.2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक 40(1) A.D.M./ RTI/ 1st Appeal/ 2021/ 128 दिनांक 12.09.2022 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.08.2022 को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.08.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार करा निर्धारित शुल्क राशि रु. 02/–जमा करा सूचना प्राप्त करने पत्रांक 124 दिनांक 01.09.2022 से जरिये डाक प्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा ना तो शुल्क जमा कराया है ना ही किसी और प्रकार का कोई पत्र व्यवहार किया है। प्रार्थी द्वारा सूचना हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने पर [illegible] नियमानुसार सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

दिनांक 28.09.2022 को प्रत्यर्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी को सुना गया। प्रत्यर्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार करा निर्धारित शूल्क राशि रु. 02/–जमा करा सूचना प्राप्त करने पत्रांक 124 दिनांक 01.09.2022 से जरिये डाक प्रेपित किय गया है। प्रार्थी द्वारा सूचना हेतु निर्धारित शूल्क जमा कराने के उपरान्त उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2022 लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 40(1) A.D.M./ RTI/ 1st Appeal/ 2021/ 128 दिनांक 12.09.2022 से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) (क) के तहत उनके पत्रांक 124 दिनांक 01.09.2022 से निर्धारित शूल्क राशि जमा करा सूचना प्राप्त करने लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शूल्क राशि जमा नही कराये जाने के कारण अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अति.जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा अपीलार्थी को निर्धारित शूल्क राशि नकद/ जरिये चालान संबंधित मद में जमा होने पर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावे। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner